जनता पार्टी और कांग्रेस की मूल नीतियों में अंतर नहीं है। जनता सरकार ने सम्पूर्ण क्रांति के नारे द्वारा सत्ता प्राप्त की है। लेकिन अभी तक यथा स्थिति है। हरिजनों पर अत्याचार, निर्धनता और कानून तथा व्यवस्था राष्ट्रीय समस्याएं बन चुकी हैं। पिछले 30 वर्षों में पिछली सरकार उनका समाधान नहीं ढूंढ सकी। नया शासन भी कोई हल नहीं निकाल सका। इसीलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं श्री स्टीफन द्वारा दिये गये तर्क पर समर्थन नहीं करता बल्कि मुझे पिछले और वर्तमान शासन में अन्तर नहीं दिखाई देता।

पिछले सत्ताधारी दल ने कोठारी आयोग पर अपनी शिक्षा नीति को आधारित कर रखा था। जनता सरकार भी उसी आयोग पर निर्भर है। पिछली सरकार की भांति यह सरकार भी कृषि मूल्य आयोग पर निर्भर है। अतः जनता सरकार श्रीमती गांधी की आर्थिक नीतियों पर ही चल रही है।

जनता पार्टी ने पूर्ण क्रांति के नारे में काम प्रारम्भ किया था। उसके लिए पूर्ण समाजवादी नीति की जरूरत है। निर्धन लोगों को कुछ रियायत देकर और उद्योगपतियों को भारी मुनाफा कमाने का अवसर देकर असमानता दूर नहीं की जा सकती। योजना द्वारा उद्योगपतियों को तो खूब लाभ होगा लेकिन कृषि मजदूरों का श्रमिक वर्ग के लिए जरूरत पर आधारित मजदूरी का उसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए चेतावनी है। उसे अपनी नीतियों को बदलना होगा।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): विरोधी पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है—वे इस जिम्मेदारी से करें या गैर-जिम्मेदारी से यह देखना उनका काम है। मैंने सोचा था कि जो कुछ कहा जायेगा उससे कुछ लाभ होगा और सरकार सुधारी जाने वाली गलतियों को सुधारेगी। परन्तु हमें ऐसी कोई चीज सुनने को नहीं मिली। जबसे यह सरकार बनी हैं में एक ही बात सुनता आ रहा हूं।

केवल दो नये तर्क सुनने को मिले है। ये हैं कि मेरे प्रधान सचिव ही सरकार को चला रहे हैं और पहले की तरह अब भी एक काकस है। मेरा लड़का भी कुछ इसी प्रकार का काम कर रहा है। इससे बढ़कर कोई और हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। प्रधान सचिव का अधिकारियों के चयन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बारे में वह अपने विचार व्यक्त नहीं करते। अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा की जाती है और तीन व्यक्तियों द्वारा निर्णय किया जाता है, वे तीन व्यक्ति हैं—सम्बन्धित मंत्री, गृह मंत्री और प्रधान मंत्री यह कोई नहीं प्रथा नहीं है। ऐसा 1947 से होता चला आ रहा है। प्रधान मंत्री को उनके प्रधान सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वह ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह एक दिन भी इस पद पर नहीं रह सकता। यहां तक कि प्रधान मंत्री भी किसी प्रकार अन्य मंत्रियों को प्रभावित नहीं करता। वे जो चाहें सिफारिशें कर सकते हैं।

मेरे लड़के द्वारा तेहरान के लिए एक गैर-अनुसूचित उड़ान किये जाने के बारे कहा गया है। मुझे यह मालूम नहीं कि अनुसूचित उड़ान क्या होती है। हवाई जहाज को वहां पर उतरना था। यह मेरे लड़के के लिये नहीं किया गया था। जब मैं वहां गया था, तो भी जहाज का वहां पर हाल्ट था। यह मेरे लिये नहीं किया गया। यह कहने का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने गैर-अनुसूचित उड़ान भरी? वह लन्दन से मास्को, बारास्ता तेहरान गये थे। यदि वह यहां आकर फिर वहां जाते तो यह उन्हें महंगा पड़ता और उन्होंने यह अपने निजी खर्चे पर ही किया। सरकारी रुपया उन पर खर्च नहीं किया गया। वह वहां सितम्बर के अन्त में गये थे। वह वहां पर अपने कारोबार से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये गये थे। वहां पर वह एक कम्पनी के निदेशक थे, जो भारत में काम कर रही थी। वह वहां पर कुछ वर्षों के लिये निदेशक थे और रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रत्येक वर्ष बैठकों के लिये वहां जाते थे। वह त्यागपत्र देना चाहते थे ताकि उनका किसी प्रकार के कारोबार से सम्बन्ध न हो।

यदि विरोधी पक्ष यह महसूस करता है कि इस तरीके से वे जनता पार्टी को तोड़ सकते है तो वे गलती पर है। मैं यह नहीं कहता कि हम में त्रुटिया नहीं है। कोई भी दल यह दावा नहीं कर सकता कि उनकी पार्टी में मतभेद नहीं है।

पूछा गया है कि हमने क्या किया है और क्या परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है उसे सारा विश्व जानता है। पूर्ण सन्तोष नहीं है तो यह बात तो समझ में आ सकती है कि मैं यह नहीं कह सकता कि एक वर्ष के अन्दर प्रत्येक मामले में पूर्ण सन्तोष दिया जा सकता है। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिये हमें शर्म आनी चाहिये या हमने वह सब कुछ नहीं किया जो हम कर सकते थे या जिसे हम करने में सफल हुए हैं।

मूल्यों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। क्या यह सही नहीं है कि जो मूल्य मार्च में थे उनकी तुलना में मूल्य अधिक नहीं है। हम यह नहीं कहते कि वे कम हुए हैं। उन्हें कम करना है। यदि प्रति वर्ष 10 वर्ष की मुद्रास्फीति के बाद आपात काल के 6 महीनों को छोड़कर हम उसे रोक सके हैं तो क्या यह एक उपलब्धि नहीं है? उनका कहना है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या यह परिवर्तन कम है कि सारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की छूट है कि वह जो चाहे कह सकता है? क्या वह भारी परिवर्तन नहीं है। स्थिति यह थी कि जब हमने सरकार की खामियों को बताने का प्रयास किया तो हमें ऐसी जगह पकड़ कर ले जाया गया जिसकी हमें खबर तक न थी।

उन्हें केवल इसी बात का खेद है कि उन्होंने जो गलतियां की थीं, हमने उन्हें ठीक कर दिया है। अब प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहां तक कि जो कुछ हम कहते है, उसे नहीं छापा जाता और जो कुछ वे कहते है, उसे मोटे अक्षरों में छापा जाता है। समाचारपत्रों के देखने से यह कथन स्वयं सिद्ध हो जायेगा।

जहां तक जन संचार माध्यमों का सम्बन्ध है जन संचार माध्यमों द्वारा उनके बारे में जरूरत से कहीं अधिक प्रचार किया जा रहा है। फिर भी वे कहते है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस देश में यह पहला अवसर है, जब कि चुनावो में विपक्षी दलों और सत्ताधारी दल को आकाशवाणी पर बोलने का समान अवसर दिया गया है। हम यह सुनिशिचत करने का प्रयास कर रहे है कि लोक संचार माध्यम स्वतंत्ररूप से कार्य करें और वे सरकार के प्रभाव में न रहे। लेकिन इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस के लिए हम ने एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत का दिया है। हम इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लेंगे। लेकिन फिर भी इस पर समय लगेगा। अतः यह कहना अर्थहीन है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

हम समाचार पत्रों या प्रेस के मामले किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मैंने प्रेस से कह दिया है कि यदि वह अपनी प्रेस परिषद् बनाना चाहते है, तो बना लें। मैं उस में किसी व्यक्ति को नामजद नहीं करुगा।

अब विपक्ष को देखिये क्या विपक्ष अब पहले की भांति इतनी अधिक अकड़न में है? विपक्ष के नेता को पूर्ण तया मान्यता दे दी गई है। अनेक मामलों में विपक्ष से परामर्श लिया जाता है। परामर्श के परिणामस्वरूप ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति को भी सर्वसम्मति से चुना गया है।

खाद्य की स्थिति को देखिये। अब खाद्य अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हर चीज़ आसानी से मिल रही है। बम्बई में तथा अन्य बड़े नगरों में जहां कहीं लोगो से मिला हूं, मुझे बताया गया है कि अब हर चीज आसानी से उपलब्ध है। अब उत्पादन अधिक हो रहा है। उद्योगों की स्थिति बेहतर है। यह सब पर्याप्त नहीं है, परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेंगे। ।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परन्तु हम पिछली सरकार की भांति बिना सोच विचार किये परिवर्तन नहीं कर सकते। हम इस मामले में शिक्षा विदों को अपने साथ लेकर कार्य करना चाहते है। अतः हम सम्बन्धित व्यक्तियों से शिक्षा के मामले पर विचार-विमर्श कर रहे है और मतैक्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे है।

मैं समझता हूं कि संविधान में बहुत पहले संशोधन किया जाना चाहिए था। लेकिन हम विपक्ष को अपने साथ लिए बिना यह काम नहीं करना चाहते और जहां तक संभव होगा हम ऐसा ही करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि दलबदल रोक विधेयक के मामले में हमें काफी हद तक सहमति प्राप्त हो गई है। इस मामले में इस लिए विलम्ब हो रहा है, क्योंकि हम विपक्ष की राय लेना चाहते है। ताकि मार्ग में कोई बाधा न करे और यह उपाय अधिक कारगर सिद्ध हो सके।

मैं विपक्ष के विरुद्ध नहीं हूं और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि विपक्ष शक्तिशाली हो। वे गुटों की बात कर रहे थे। हमारे दल में कोई गुटबाजी नहीं है, विचार की भिन्नता हो सकती है। में यह कहना चाहता हूं कि इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना घटी है कि पांच विभिन्न विचारधाराओं वाले दल एक दूसरे के दबाव के बिना लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आपस में मिले हैं। अब वे एक हो गये हैं और एक नया दल बन गया है। जो आंखें होते हुए भी न देखना चाहे, उन से क्या कहा जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारा दल एक दल है और उसमें गुटबाजी नहीं हैं।

हरिजनों पर अत्याचारों, कानून और व्यवस्था की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। लेकिन यह समस्यायें केवल हम से सम्बन्धित नहीं है, समूचे देश से सम्बन्धित हैं। ये समूचे देश की समस्यायें हैं। यह समस्यायें पहले भी रही हैं। परन्तु में यह नहीं कहना चाहता कि यह समस्यायें रहेंगी। हम इन्हें अवश्य दूर करेंगे। यह हमारा दायित्व है। पहले हन बातों का प्रकाशन नहीं होता था। पहले हरिजन आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को संघर्ष करने का साहय नहीं था। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि अब वे पूर्ण संधर्ष करने के लायक हो गये हैं।

मैं विपक्षी दल के नेता का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी कमजोरी यहां जाहिर की है। यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देना चाहता है तो उन्हें ऐसा करने का अवसर प्राप्त हैं। लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की) : मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिस का मैं उत्तर दूं। उन्होंने केवल एक बात कही है कि लोगों के पास आंखें हैं, परन्तु वे देखना नहीं चाहते। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के पास कान हैं, परन्तु वे सुनना नहीं चाहते। गत दो दिनों में अनेक भाषण दिये गये हैं। यदि प्रधान मंत्री उन्हें न सुनना चाहें तो क्या किया जा सकता है।

एक प्रश्न बार-बार पूछा गया है कि यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है। अतीत में अनेक अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा की जा चुकी है। इस अविश्वास प्रस्ताव और इस पर दिये गये भाषणों से एक बात तो सुस्पष्ट हो गई है। एक या दो भाषणों को छोड़ कर अन्य भाषणों में भ्रष्टाचार के आरोप और पारस्परिक छींटाकशी या कटाक्ष नहीं किया गया है बल्कि राष्ट्रीय मामलों को लिया गया है। कांग्रेस (आई) कांग्रेस, पोपल्स वर्कर्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आंफ इण्डिया, ए० डी० एम० के०, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, मुस्लिम लीग, आदि सभी दलों ने यही कहा हैं कि सरकार का कार्यकरण अत्यन्त निराशाजनक और असन्तोषजनक रहा है और यह देश को असफलता की ओर ले जा रही है। सत्ताधारी दल के अनेक सदस्यों ने भी यह चेतावनी दी है। सरकार को इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।